न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 70 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. पुरा पिता लुणीराम, जाति डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. केशुलाल पिता लुणीराम, जाति डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नन्दलाल पिता लुणीराम, जाति डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. विजय पिता भीमा, जाति डांगी, निवासी खारोल कॉलोनी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. छगनलाल पिता लुणीराम, जाति डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थान
काश्त. अधि.1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 30.03.2022 प्र.सं. 18 / 2018

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मानाराम डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 28–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करणपुर, तहसील वल्लभनगर में खाता संख्या 1 की आराजी नंबर 409 मीन रकबा 1 बीघा, खाता संख्या 444 की आराजी नंबर 409 / 2 रकबा 7 बीघा, खाता संख्या 445 की आराजी नंबर 409 / 4 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी नंबर 409 मीन में वादी संख्या 1 का 3 / 14 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 3 / 14 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 2 / 14 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी नंबर 409 / 2 में वादी संख्या 1 का 3 / 14 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 3 / 14 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 2 / 14 हिस्सा है तथा इसी प्रकार आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

409/4 में वादी संख्या 1 का 3/14 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 3/14 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 2/14 हिस्सा है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30—03—2022 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27—09—2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मानाराम डांगी उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवारे का सूचना पत्र दिनांक 15—09—2022 को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को होने की प्रकरण पर कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की बिना तामिल कराये [illegible] तरीके से एकपक्षीय डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

जारी कर दी है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 क्रेता है एवं बिना बंटवारा कराये किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रखता है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि को भारी लागत लगाकर आबादान किया है, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त तथ्य को छुपाकर अपने पक्ष में एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने समस्त शामलाती भूमियों का बंटवारा नहीं करवाया है, मात्र विशेष भूमि का ही बंटवारा करवाया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण ने तामील लेने से इंकार किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने शामलाती भूमि के विभाजन बाबत् साक्ष्यों के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमियां पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 15–01–2020 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 30–03–2022 को वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested